उत्तर प्रदेश शासन

महिला कल्याण अनुभाग-1

संख्या-10/2025/879699/60-1099/160/2022

लखनऊ::दिनांक:: 14 फरवरी, 2025

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के परामर्श, शासनादेश संख्या-जी-2-729-दस-2001, दिनांक 06 जून, 2001 में वर्णित तथ्यों, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 81-ख (2) में चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो भाग 2 से 4 के मूल नियम 81-ख (3) में उल्लिखित निजी कार्य पर अवकाश के संबंध में उक्त उल्लिखित नियमों एवं मण्डलीय चिकित्सा परिषद, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर के पत्र दिनांक 13.08.2021 द्वारा श्रीमती मीनू सिंह को दिनांक 24.07.2021 को उन्हें डियूटी हेतु फिट घोषित किए जाने व श्रीमती सिंह के उपचार एवं चिकित्सा प्रमाण-पत्रों से सहमति व्यक्त किये जाने के दृष्टिगत श्रीमती मीनू सिंह, तत्कालीन जिला परिवीक्षा अधिकारी, सहारनपुर सम्प्रति जिला परिवीक्षा अधिकारी, बांदा द्वारा मांगे गये दिनांक 11.07.2019 से दिनांक 23.07.2021 तक कुल 743 दिनों का चिकित्सा अवकाश एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

सुधा वर्मा
विशेष सचिव

संख्या-10/2025/879699(1)/ 60-1099/160/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर ।
2. जिलाधिकारी, सहारनपुर ।
3. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. संबंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
5. जिला परिवीक्षा अधिकारी, सहारनपुर ।
6. श्रीमती मीनू सिंह, तत्कालीन जिला परिवीक्षा अधिकारी, सहारनपुर सम्प्रति जिला परिवीक्षा अधिकारी, बांदा (द्वारा निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ)।
7. गार्ड फाइल।

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in